न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 590 / 2022
अनवान : –

1. महेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. धोला पत्नी अमरसिंह जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
2. रामजीलाल पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
3. रोशनी पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
4. बाधो पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
5. बुधराम पुत्र मूर्ति पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
6. मंगल पुत्र मूर्ति जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर जरिये नाबालिग संरक्षक पिता अमरसिह पुत्र मन्शाराम जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
7. पूजा पुत्री मूर्ति जाति जाट निवासी सुरपुरा जरिये नाबालिग संरक्षक पिता अमरसिह पुत्र मन्शाराम जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 02/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 5 / 5 की कुल 17.1610 हैक्ट भूमि में से 2836 / 17161 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स0 5 / 3 की कुल 2.8710 हैक्ट भूमि में से 9 / 50 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 4 / 4 की कुल 9.0800 हैक्ट भूमि में से 9 / 100 हिस्सा भूमि अमरसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमरसिह के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है। अमरसिह का देहान्त हो चुका है। अमरसिह के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 है जो की अपने हक ... अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी ... है व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 4 वादी की बहिने है एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 वादी के भान्जा व भा... जो की उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:42:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में परित्याग कर चुके है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 2 व 4 ता 7 ने न्जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2073–76 रोही मौजा सुरपुरा खाता संख्या 5/5 व 4/4 जमाबंदी सम्वत 2070–73 रोही मौजा दलपतपुरा खाता संख्या 5/3, मृत्यु प्रमाण पत्र अमरसिंह व मूर्ति देवी। वादी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर निवेदन किया की इस्तदुआ को संशोधित किया जाकर उक्त वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को 5/6 हिस्सा के बहिब व प्रतिवादी संख्या 3 को 1/6 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमरसिह के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है। अमरसिह का देहान्त हो चुका है। अमरसिह के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 वादी की माता है व प्रतिवादीगण संख्या 4 वादी की बहिने है एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 वादी [illegible] की उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है तथा अप[illegible] व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में परित्याग कर चुके है। अधिवक्ता [illegible] संख्या 3 को तर्क अंकित किया की प्रतिवादी संख्या 3 का जो भी हक हिस्सा है उसे दिया जा रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:42:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 5/5 की कुल 17.1610 हैक्ट भूमि में से 2836/17161 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स0 5/3 की कुल 2.8710 हैक्ट भूमि में से 9/50 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 4/4 की कुल 9.0800 हैक्ट भूमि में से 9/100 हिस्सा भूमि अमरसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमरसिह के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है। अमरसिंह का देहान्त हो चुका है। अमरसिह के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 वादी की माता है व प्रतिवादीगण संख्या 4 वादी की बहिने है एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 वादी के भान्जा व भान्जी है जो की उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में परित्याग कर चुके है। अधिवक्ता वादी ने प्रतिवादी संख्या 3 को तर्क अंकित किया की प्रतिवादी संख्या 3 का जो भी हक हिस्सा है उसे दिया जा रहा है वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व 4 ता 7 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 5/5 की कुल 17.1610 हैक्ट भूमि में से 2836/17161 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स0 5/3 की कुल 2.8710 हैक्ट भूमि में से 9/50 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 4/4 की कुल 9.0800 हैक्ट भूमि में से 9/100 हिस्सा भूमि अमरसिंह के नाम दर्ज है, में अमरसिह का नाम कलमजन [illegible] संख्या 2 को 5/6 हिस्सा के बहिब व प्रतिवादी संख्या 3 को 1/6 [illegible] कार घोषित किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंक[illegible] प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भू[illegible]क रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:42:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:42:26 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 590/2022

अनवान : –

1. महेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिह जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. धोला पत्नी अमरसिंह जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
2. रामजीलाल पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
3. रोशनी पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
4. बाधो पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
5. बुधराम पुत्र मूर्ति पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
6. मंगल पुत्र मूर्ति जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर जरिये नाबालिग संरक्षक पिता अमरसिह पुत्र मन्शाराम जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
7. पूजा पुत्री मूर्ति जाति जाट निवासी सुरपुरा जरिये नाबालिग संरक्षक पिता अमरसिह पुत्र मन्शाराम जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 590 सन 2022 निर्णय दिनांक - 02/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रामकुमार बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 5/5 की कुल 17.1610 हैक्ट भूमि में से 2836/17161 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स0 5/3 की कुल 2.8710 हैक्ट भूमि में से 9/50 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 4/4 की कुल 9.0800 हैक्ट भूमि में से 9/100 हिस्सा भूमि अमरसिंह के नाम दर्ज है, में अमरसिह का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को 5/6 हिस्सा के बहिब व प्रतिवादी संख्या 3 को 1/6 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:42:26 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर